

15.10.19

वकील जर्जी उपस्थित । वकील जर्जी द्वारा  
डिप्टी मजिस्ट्रेट राजस्व रिकॉर्ड में अंश देना  
प्रस्ताव । शर्तिका - पत्र में कोई कार्यवाही शेष  
नहीं होने पर शर्तिका - पत्र स्वीकार किया जाना  
है। पत्रावली संख्या ले कर होकर डायरी  
दफ्तार हो।

आदेश ले डाला हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़

Recd  
11 दसंबर  
(आर्डर 21  
47/8-18